4-3-19

[illegible] अन्य [illegible] है

[illegible] 23/04/19

[illegible]

23/04/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील अनुपस्थित। प्रार्थी एवं प्रतिभूति के आदेशिका को रजिस्टर्ड डाक आवाज दिलवायी गई परन्तु न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश 39 नियम 1 एवं आदेश 39 नियम 2 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। प्रकरण पुराना होकर नम्बर 2 से कम है। तथा वाद तर्कों पर निर्णय लिया जाता है। वाद मूल वाद के साथ सम्बद्ध है।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)